IN THE COURT OF A.D.J. IIIrd , JAMUI

S.T 60/2021

Arising out of P.S. Case No. Barhat 108 /2019 G.R No. 3199/2019

---

1. Dwarika Yadav @ Katari Yadav S/o Kishun Yadav

Resident of Village- Barhat, P.S.- Barhat and Dist.-Jamui

-------------------------------- Petitioner.

Versus

The State of Bihar

------------------ Respondent.

S. No.	Date	Order	Remarks
1.	07-07-2021	काराधीन आवेदक / अभियुक्त द्वारिका यादव उर्फ कटारी यादव की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है तथा इसके पूर्व आवेदक ने अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1469 / 20 दाखिल किया था जो विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई द्वारा दिनांक 04.12.20 को खारिज हो गया तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना में लंबित नहीं है तथा आवेदक, सह अभियुक्त मुकेश, धमेंद्र, ललन एवं कारू यादव का गोतिया है जिनका मृतक के साथ जमीन का विवाद चल रहा है तथा आवेदक घटना की तिथि एवं समय को घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था तथा उक्त साक्ष्य पूरक केस डायरी की कंडिका 5, 6, 7, 9, 13, 42 एवं 43 में आया है तथा अनुसंधान में यह भी सामने आया है कि आवेदक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरहअ में कर्मचारी है तथा घटना की तिथि को वह शाम 5:00 बजे तक प्रा0 स्वा0 के0 बरहट में था तथा उक्त साक्ष्य पूरक केस डायरी की कंडिका 43 एवं 44 में आया है तथा सह अभियुक्त विकास यादव एवं प्रमोद यादव को विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई के द्वारा जमानत आवेदन सं0 445 / 20 एवं 36 / 21 में पारित आदेशों के द्वारा जमानत दिया जा चुका है तथा अन्य सह अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा क्रिम0 मिस0 सं0 22393 / 2020 में पारित आदेश दिनांक 14.09.20 के द्वारा जमानत दिया जा चुका है तथा आवेदक दिनांक 22.01.21 से काराधीन है तथा अनुसंधान के पश्चात अनुसंधानकर्ता ने आवेदक एवं सह अभियुक्त प्रमोद यादव के विरुद्ध अंतिम प्रपत्र समर्पित किया है परंतु आवेदक के विरुद्ध दिनांक 05.10.20 को विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई के द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है तथा आवेदक श्रीमान के आदेशानुसार बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं। अतः प्रार्थना है कि आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा कथन करते हैं कि आवेदक प्राथमिकी का नामित अभियुक्त है तथा आवेदक के विरुद्ध केस डायरी की कंडिका 4, 6, 7, 8, 9, 78, 79 एवं 80 में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। उभयपक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध इस वाद में आरोपित धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 504, 506,337, 338 एवं 302 भा0द0वि0 है तथा केस डायरी की कंडिका 4 में वादी ने अपने पुनः बयान में तथा कंडिका 6, 7, 8, 9, 78, 79 एवं 80 में साक्षियों ने अपने–अपने बयान में प्राथमिकी का समर्थन किया है। इस वाद में कुल 09 प्राथमिकी अभियुक्त है, जिसमें से 07 अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधानकर्ता ने दो बार में क्रमशः आरोप पत्र सं0 18 / 20 दिनांक 08.02.20 एवं आरोप पत्र सं0 47 / 20 दिनांक 19.05.20 समर्पित किया है तथा आवेदक एवं एक अन्य अभियुक्त प्रमोद यादव के विरुद्ध अनुसंधानकर्ता ने अंतिम प्रपत्र सं0 70 / 20 दिनांक 30.06.20 समर्पित किया है तथा केस डायरी की कंडिका 82 में साक्षी ने कथन किया है कि आवेदक प्रा0 स्वा0 के0 बरहट में काम करता है तथा घटना के दिन टीकाकरण प्रोग्राम में आवेदक बरहट गए हुए थे और शाम 6:00 बजे के	

	पश्चात् 07.07.21	बाद घर वापस आए तथा घटना के समय घटनास्थल पर आवेदक नहीं था तथा कंडिका 94 एवं 101 में क्रमशः अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई ने अपने पर्यवेक्षण टिप्पणी में एवं पुलिस अधीक्षक, जमुई ने अपने प्रतिवेदन–2 में आवेदक की घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित एवं घटना में संलिप्तता के संबंध में गहराई से छानबीन करने का निर्देश दिया है तथा प्रथम पूरक केस डायरी की कंडिका 5, 6, 7, 9 एवं 13 में साक्षियों ने अपने–अपने बयान में कथन किया है कि आवेदक घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था तथा कंडिका 20 में अनुसंधानकर्ता ने आवेदक के मोबाईल का सीडीआर एवं लोकेशन हेतु अनुरोध पत्र दिया है तथा कंडिका 43 में अंकित है कि अनुसंधानकर्ता ने प्रा0 स्वा0 के0 बरहट के रजिस्टर का अवलोकन किया तो पाया है कि घटना के दिन दिनांक 07.11.19 को आवेदक का हाजिरी रजिस्टर के क्रमांक 3 पर बना हुआ है तथा कंडिका 44 में अंकित है कि प्रा0 स्वा0 के0 बरहट के कर्मी ने बताया कि दिनांक 07.11.19 को शाम 6:00 बजे तक टीकाकरण प्रोग्राम में आवेदक प्रा0 स्वा0 के0 बरहट पर था जबकि घटना का समय 5:30 बजे शाम का है तथा द्वितीय पूरक केस डायरी की कंडिका 4 में आवेदक के मोबाईल सं0 9931999123 का सीडीआर अंकित है जिसके अनुसार दिनांक 06.11.19 के 8:54 बजे से दिनांक 08.11.19 के 8:37 बजे तक आवेदक के मोबाईल का लोकेशन ग्राम सलैया बरहट का है तथा कंडिका 11 में आवेदक को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए अनुसंधानकर्ता ने अंतिम प्रपत्र समर्पित किया है तथा सभी साक्षियों ने यह कथन किया है कि दोनों पक्षों में पहले से जमीनी विवाद चल रहा है तथा आवेदक ने अग्रिम जमानत आवेदन हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में क्रिम0 मिस0 13367/2021 दाखिल किया था तथा आवेदक की गिरफ्तारी हो जाने के कारण उक्त आवेदन दिनांक 09.04.21 को वापसी के आधार पर खारिज हो गया तथा सह अभियुक्त मुकेश यादव एवं कारू यादव को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिम0 मिस0 सं0 22393/2020 में पारित आदेश दिनांक 14.09.20 के द्वारा जमानत दिया जा चुका है तथा सह अभियुक्त विकास यादव एवं प्रमोद यादव को विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई के द्वारा जमानत आवेदन सं0 445/20 एवं 36/21 में पारित आदेश क्रमशः दिनांक 14.10.20 एवं 21.01.21 के द्वारा जमानत दिया जा चुका है तथा उक्त सह अभियुक्तों में से अभियुक्त मुकेश यादव, कारू यादव एवं विकास यादव के विरुद्ध अनुसंधानकर्ता ने आरोप पत्र समर्पित किया है जबकि आवेदक के विरुद्ध अनुसंधानकर्ता ने आरोप पत्र समर्पित न करके अंतिम प्रपत्र समर्पित किया है तथा इस वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा अब इस वाद में साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है तथा आवेदक इस वाद में लगभग साढ़े पांच माह अर्थात दिनांक 22.01.21 से काराधीन है। वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारिका यादव उर्फ कटारी यादव को पच्चीस हजार रूपया के दो प्रतिभू सहित बंध–पत्र दाखिल करने इस शर्त पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि एक प्रतिभू आवेदक का निकट संबंधी होगा तथा दोनों प्रतिभू स्थानीय होंगे जिनकी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पर्याप्त अचल संपत्ति होगी तथा आवेदक/अभियुक्त आरोप गठन तक न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर सदेह उपस्थित रहेगा। लेखापित -SD- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय जमुई।	